



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ; जित; के। जिनके जित-
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)

Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

No. : - SRG/Agri/28/2015-16/-

Dated: - 28.08.2015

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में हिस्सा आधार पर बीजोत्पादन हेतु निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के चक 47ए व 49 ए पीबीएन में 385.0 हेक्टेयर (962.50 एकड़ क्षेत्र) में हिस्सा आधारित शस्य क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग हेतु कृषि फसलों रबी 2015–16 के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रु. 200/- नकद शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है परन्तु निविदा शुल्क की निर्धारित राशि रु.200/- निविदा देते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। प्रति लॉट अमानत राशि का डी.डी. रु. 1,00,000/-(रु.एक लाख मात्र) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ़, के नाम से सूरतगढ़ में देय हो, दिनांक 18.09.2015, को अपराह्न 1.00 बजे तक टेण्डर दिये जायेंगे तथा सायं 03.00 बजे तक जमा कराना होगा व निविदाएं सायं 3.30 बजे उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ पैनकार्ड, राशनकार्ड व वोटर आई.डी. या आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

दिनांक 18.09.2015 को निविदाएं अस्वीकृत होने पर, निविदाएं पुनः दिनांक 26.09.2015 को पूर्वनिर्धारित समय पर होगी। जिसकी नियम एवं शर्तें पूर्व की भांति रहेगीं। निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक कृषि कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक

dUnh; jkT; Qke] l jnkjx<

fo"K; %& Qly mRiknu e fgLLkk vk/kkfjr 'kL; fØ;kvk e bLreky gku oky Jfed o e'khu dh vkmV lkflx dh fu;e o 'kriA

1. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) पानी (उपलब्धतानुसार) फसलवार फार्म द्वारा तय नार्मस के मुताबिक फार्म की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा।
2. खेती से संबंधित समस्त कार्य, जमीन की तैयारी, फसल बुवाई, उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा/ सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ-सफाई, निराई-गुड़ाई, रोगिंग फसल की रखवाली, कटाई/गह्राई उत्पादन को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने इत्यादि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक ऑपरेशन ठेकेदार को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च की एवज में फसल उत्पाद का हिस्सा दिया जायेगा जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से रबी 2015-16 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार फसल के उत्पादन को खलिहान पर प्राप्ति के 15 दिन बाद किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में गंगानगर मण्डी के आवक पीरियड के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
3. निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा संबंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पाद को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने तक का कार्य संबंधित चक इन्चार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा।
4. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन-रात नहर में पानी की सप्लाई व नाली में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा।
5. बीज उत्पादन के लिये पृथक करण रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी।
6. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म की किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाए श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
7. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण उत्पाद फार्म को देना होगा।
8. संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में ठेका पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवाएगा। फार्म की उक्त चल-अचल संपत्ति का ठेकेदार व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई ठेकेदार के कार्य के बिल के भुगतान/जमा धरोहर राशि से किया जायेगा।
9. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने व पशुधन चराने एवं अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
10. बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस फार्म द्वारा वहन किया जाएगा।

::2::

11. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने क्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबन्धन द्वारा किया जाएगा।
12. ठेकेदार को ठेके के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
13. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग का कार्य रबी 2015-16 के लिये रखा जायेगा।
14. ठेकेदार को अपना पेन कार्ड नम्बर देना होगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 भी कटेगा।
15. निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है।
16. ठेकेदार का सम्बन्ध केवल कृषि कार्य से रहेगा।
17. ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थाई निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत्त कार्यों के अतिरिक्त) नहीं होगी।
18. ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व मशीनों की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध कराया जायेगा।
19. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पूर्व अनुमान/नियन्त्रण/निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि ठेकेदार अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबन्धन का निर्णय ही अंतिम होगा।
20. सभी फसलों का नीरा गूना ठेकेदार का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिन के अन्दर वह स्वयं करेगा।
21. किये गये कार्य श्रमिक व मशीन मद में खर्च के एवज में ठेकेदार को पहली किश्त सीजन की फसल बुवाई के उपरान्त अग्रिम भुगतान के रूप में रु0 1500/- प्रति हैक्टेयर व दूसरी किश्त रु 1000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से फसल कटाई के पूर्व भुगतान का प्रावधान रहेगा जिसे उसके अंतिम देय भुगतान से समायोजित कर लिया जाएगा।
22. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण फसल व प्रजाति की आवश्यकता अनुसार फार्म द्वारा निविदा के पूर्व किया जायेगा।
23. फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान आदि के बारे में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
24. प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जायेगा, यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन के कारणों की समीक्षा की जायेगी, यदि ठेकेदार की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब ठेकेदार इस कमी की भरपायी करेगा जिसका आकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
25. फसल उत्पाद में होने वाले नुकसान व चोरी इत्यादि की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
26. पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सहप्रबन्धक निदेशक, कॉरपोरेट ऑफिस, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली अथवा उनके नामित एकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायालय में क्षेत्राधिकार माना जाएगा जिसके अन्तर्गत फार्म आता है।

icU/kd %mRiknu%
dUnh; jkT; Qke]
I jnkjx<



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्री कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

फैक्स-01509-238027

PHONES: (01509-238027, 238296 (Office

e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

No. : - SRG/Agri/28/2015-16/-

Dated: - 28.08.2015

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में हिस्सा आधार पर बीजोत्पादन हेतु
निविदा प्रपत्र

1. फर्म/ठेकेदार का नाम व पता :-
2. पेन नम्बर :-
3. धरोहर राशि का विवरण डी0डी0 नं0 :-

लॉट सं0	चक का नाम व प्रस्तावित ऐरिया	फसल का विवरण	कार्य की दर जो निविदादाता द्वारा देय है
		रबी 2015-16	हिस्सा का विवरण प्रतिशत में
1	चक 47 ए का क्षेत्रफल 682.50 एकड़	जौ, गेहूँ, चना, सरसों, तोरिया, जई, पालक, इत्यादि	
2	चक 49 ए का क्षेत्रफल 280.00 एकड़	जौ, गेहूँ, चना, सरसों, तोरिया, जई, पालक, इत्यादि	

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ-पत्र रु0 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व पूरा पता

.....

.....

मोबाइल नं0.....